



अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदकों के कार्ड की वैधता का विस्तार

अधिक भीड़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आरजन और शरण मंत्री के निर्णय से, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदकों के कार्ड की वैधता का विस्तार निम्नानुसार है:

- 1- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "1" पर समापित होती है 6 नवंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 2- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "2" पर समापित होती है 13 नवंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 3- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "3" पर समापित होती है 20 नवंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 4- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "4" पर समापित होती है 27 नवंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 5- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "5" पर समापित होती है 4 दिसंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 6- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "6" पर समापित होती है 11 दिसंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 7- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "7" पर समापित होती है 18 दिसंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 8- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "8" पर समापित होती है 29 दिसंबर 2020 तक विस्तारित है।
- 9- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "9" पर समापित होती है 7 जनवरी, 2021 तक विस्तारित है।
- 10- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवेदकों के कार्ड, जिनके शरण मामले की संख्या "10" पर समापित होती है 14 जनवरी, 2021 तक विस्तारित है।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदकों के कार्ड, जिसके नवीकरण के लिए लेस्वोस का क्षेत्रीय शरण कार्यालय जिम्मेदार है, की वैधता 14 जनवरी, 2021 तक विस्तारित है।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदकों की बेहतर सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, कार्डों का नवीनीकरण विशिष्ट समय और तिथियों पर किया जाएगा, जो आवेदक संबंधित एप्प में देख सकते हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट <http://applications.migration.gov.gr> पर उपलब्ध होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदकों को निर्धारित विशिष्ट समय और तिथियों को जो उन को मंत्रालय के एप्प द्वारा दी जाएगी के अनुसार शरण सेवा में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है।